सं0-02/2017/2787/62-2-2016-2/3(08)/2016

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 06 फरवरी,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कतिपय मानक मदों में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-511/ल0सिं0/बजट-आयोजने0 पुर्न0/2016-17, दिनांक 21.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-वेतन मद में हो रही बचतों की धनराशि रू0&332024 हजार में से 27;2-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-लघु सिंचाई योजना-07-मानदेय हेतु रू0-400 हजार पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9) के अनुसार संक्रमित कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अर्न्तगत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-वेतन मद में पुनर्विनियोजित कर उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत मानक मद 07-मानदेय के नामे डाला जायेगा"।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के यू0ओ0-ई-2-1169/दस'16, दिनांक 27.01.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-02/2017/2787(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) I/II उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उ0 प्र0।

6- एल0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

iufofu;kx d fy, vkonu@Lohdfr

¼lnHk%ctV euvy dk iLrj&158½

foRrh; o"k 2016&17

¼gtkj :0 e½

vunku l[;k dk uke%&13&y?k flpkb foHkkx mRrj in'kA

fuEufyf[kr fuf/k;k l iLrkfor lde.k				foRr foHkkx }kjk Hkjk tk;xk	
y[kk 'kh"k vk;ktuRrj	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k vunku@fofu;kx	vkonu i= nu d fnukd ij miyC/k cpr	ldfer dh tku okyh /kujkf'k	foRr foHkkx }kjk lde.k gr vuekfnr /kujkf'k	lde.k d lk'pkr 'k"k vunku@ fofu;kx ¼2&5½
1	2	3	4	5	6
2702&y?k flpkb&vk;ktuRrj&80&lkekU;& 800&vU; 0;;&03&y?k flpkb ;ktuk					
01&oru	964381	332024	400	400	963981
;kx%&	964381	332024	400	400	

fuEufyf[kr fuf/k;k e iLrkfor lde.k				foRr foHkkx }kjk Hkjk tk;xk	
y[kk 'kh"k vk;ktuRrj	foRrh; o"k d fy, miyC/k vunku@fofu;kx	foRrh; o"k e iR;kf'kr dy 0;;	lde.k gr iLrkfor /kujkf'k ¼9&8½	foRr foHkkx }kjk vuekfnr lde.k dh /kujkf'k	lde.k d lk'pkr miyC/k vunku@fofu;kx ¼8+11½
7	8	9	10	11	12
2702&y?k flpkb&vk;ktuRrj&80&lkekU;& 800&vU; 0;;&03&y?k flpkb ;ktuk					
07&ekun;	80	480	400	400	480
;kx%&	80	480	400	400	480

¼1½ LrEHk&3 e miyC/k cpr dk dkj.k fuEukuklkj g%&

foHkkxh; vko';drk d vuklkj

¼2½ LrEHk&8 e mfYyf[kr miyC/k vunku d lki{k LrEHk&9 e vfdr 0;; fuEufyf[kr dkj.kk l g%&

foHkkxh; vko';drk vuklkj /kujkf'k miyC/k u gku d dkj.k

¼3½ iekf.kr fd;k tkrk g fd mi;Dr iufofu;kx e m0i0 ctV euvy d iLrj

150 o 151 e fufn"V ifrcU/kk@ifjlhekvk dk mYy?ku ugh gkrk gA

l[;k&vkjb0 398@;0vk0&b&2&1169] fnukd lok e] egky[kkdkj ¼y[kk ,o gdnkjh½ iFke

27-01-2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

gLrk{kj&

uke o inuke&¼lt; 'kDyk½

vulfpo

i'kkldh; foHkkx& y?k flpkb ,o HkxHk ty]
vuHkkx&2] m0i0
'kkluA

m0i0
bykgkcknA

gLrk{kj&

g0@&

uke o
inuke& ¼cjkrh yky½

milfpo

foRr foHkkx&

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।